तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब प्रा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रा-पत्र अप्रार्थीगण सं. 3 एवं 5 का बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 4 की तामील पूर्ण होने के बावजूद भी आज दिनांक तक वकालतन व असालतन उपस्थित न रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 हेतु आइंदा दिनांक 19/2/25 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
2/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। बहस उभयपक्ष की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने आइंदा दिनांक 28/2/25 को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
28/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेशिका का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया गया। सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन इस प्रकार है: 1. प्रथम इस मामले! वाद पत्र मय हलफनामा, प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखने बाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है परन्तु प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। सहखातेदारी आराजी में प्रार्थी का कौनसा हिस्सा कहाँ है यह बिना बंटवारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ने किस प्रकार वादी/प्रार्थी के उपयोग/उपभोग में बाधा कारित की यह साबित नहीं होता है जबकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः यह बिंदु प्रार्थी साबित करने में विफल रहे हैं।
	2. सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:- प्रथम बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी पर सामलाती सहखातेदारी भूमि होने से किस प्रकार केवल प्रार्थी को ही असुविधा कारित होगी यह प्रार्थी साबित करने में विफल रहे हैं अतः सुविधा का सन्तुलन का बिंदु भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुआ है। बिंदु सं. 1 एवं बिंदु संख्या 2 के अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता। उपर्युक्त विवाद विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं ...पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सत्यमेव जयते जोधपुर	